राजस्थान सरकार
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ–12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/08/3545 दिनांकः 19-8-9

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय :– एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत व्यक्तिगत अनुबंध हेतु आयुर्वेद चिकित्सकों को जिला आवंटन के क्रम में।

संदर्भ :– निदेशालय का पत्र क्रमांक एफ–12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/2008/196 दिनांक–12.01.2009

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 500 आयुष चिकित्सकों के चयन हेतु दिनांक 22.9.08 को जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में राज्य स्तरीय वरीयता सूची के अनुसार निम्नांकित एम.डी. उपाधिधारी आयुष चिकित्सकों को आयुष चिकित्सक के पद पर चयनित करते हुए निम्नांकित स्थानों पर नियुक्त किया जाता है एवं इन्हें प्रतिमाह रू. 15000/– समेकित मानदेय देय होगा–

क्र.सं.	राज्य स्तरीय वरीयता क्रमांक	नाम	पदस्थापित स्थान
1.	वरीयता क्रमांक–26	डॉ. अल्का जांगिड	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, राजसमंद
2.	वरीयता क्रमांक–50	डॉ. अरूण दाधिच	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, गंगानगर
3.	वरीयता क्रमांक–54	डॉ. भंवर लाल सिरवी	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, पाली
4.	वरीयता क्रमांक–55	डॉ. राजेन्द्र सिंह राणावत	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, टोंक
5.	वरीयता क्रमांक–60	डॉ. जगमोहन शर्मा	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, भरतपुर
6.	वरीयता क्रमांक–70	डॉ. उदय भानू प्रताप सिंह	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, सिरोही
7.	वरीयता क्रमांक–103	डॉ. राजाराम अग्रवाल	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, चित्तौडगढ़
8.	वरीयता क्रमांक–122	डॉ. ओम प्रकाश मांजू	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, बीकानेर
9.	वरीयता क्रमांक–131	डॉ. राजकुमार	जिला समन्वयक, आयुष,

			मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, चूरू
10.	वरीयता क्रमांक–141	डॉ. विष्णु कुमार मित्तल	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, बांसवाडा
11.	वरीयता क्रमांक–149	डॉ. मनमोहन शर्मा	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, सीकर
12.	वरीयता क्रमांक–158	डॉ. विनोद कुमार लवानिया	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, धौलपुर
13.	वरीयता क्रमांक–159	डॉ. निरंजन कुमार	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, प्रतापगढ़
14.	वरीयता क्रमांक–163	डॉ. कमलेश कुमार	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, जालौर
15.	वरीयता क्रमांक–187	डॉ. सुरेन्द्र कुमार गौतम	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, बारां
16.	वरीयता क्रमांक–188	डॉ. सुभाष चन्द्र	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, हनुमानगढ़
17.	वरीयता क्रमांक–192	डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, नागौर
18.	वरीयता क्रमांक–195	डॉ. मनोज कुलश्रेष्ठ	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, जोधपुर
19.	वरीयता क्रमांक–197	डॉ. महेन्द्र सिंह	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, बाड़मेर
20.	वरीयता क्रमांक–208	डॉ. हरिश चन्द्र गोयल	जिला समन्वयक, आयुष, मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय, झुंझुनूं
21.	वरीयता क्रमांक–45	डॉ. भारती बादिल	सीएचसी, जयपुर
22.	वरीयता क्रमांक–109	डॉ. सीता राजोरिया	सीएचसी, अजमेर
23.	वरीयता क्रमांक–140	डॉ. अनूप कुमार इंदौरिया	सीएचसी, सीकर
24.	वरीयता क्रमांक–178	डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा	सीएचसी, दौसा
25.	वरीयता क्रमांक–202	डॉ. किशोरी लाल	सीएचसी, जयपुर
26.	वरीयता क्रमांक–216	डॉ. सत्यनारायण शर्मा	सीएचसी, सीकर
27.	वरीयता क्रमांक–217	डॉ. श्रीधर पारीक	सीएचसी, सीकर
28.	वरीयता क्रमांक–227	डॉ. राजेश चन्द्र मिश्रा	सीएचसी, चूरू
29.	वरीयता क्रमांक–235	डॉ. कमलेश कुमार शर्मा	सीएचसी, सीकर
30.	वरीयता क्रमांक–02 (ओबीसी)	डॉ. यशपाल सिंह	सीएचसी, भरतपुर
31.	वरीयता क्रमांक–04 (ओबीसी)	डॉ. कमलेश कुमार	सीएचसी, अलवर
32.	वरीयता क्रमांक–07 (ओबीसी)	डॉ. जगदीश कुमार	सीएचसी, उदयपुर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि क्रम संख्या 1 से 20 तक के अभ्यर्थियों को जिला समन्वयक, आयुष (District Coordinator, AYUSH) के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में कार्यग्रहण करवाकर सूचित करें। इन पदस्थापित चिकित्सकों के द्वारा एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत आयुष से संबंधित समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन निरीक्षण एवं नियंत्रण का कार्य संपादित किया जायेगा। इन नियुक्त जिला समन्वयक, आयुष के लिए पृथक से कक्ष आवंटित कर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर प्रिंटर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध करवावें, ताकि आपके जिले में आयुष से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन इनके माध्यम से करवाया जा सके।

जिला समन्वयक, आयुष (District Coordinator, AYUSH) संलग्न प्रपत्रानुसार डी.पी.एम. के समन्वयन से कार्य संपादन करेंगे। इनका जिला स्वास्थ्य समितियों में आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनयन किया जाता है, ताकि जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय स्थापित हो सके। इन्हें नियमानुसार निरीक्षण आदि कार्यों के लिए जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से वाहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जावेगी।

क्र.सं. 21 से 32 के अभ्यर्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित किया जावेगा एवं इनके माध्यम से आयुष विशेषज्ञ सेवायें ली जावेगी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन्हें पृथक से दो कक्ष आवंटित करवाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था शुरू की जायेगी।

इन अभ्यर्थियों की उपस्थिति लेते समय नियुक्ति से पूर्व निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

1. व्यक्तिगत अनुबंध चयनित अभ्यर्थी से दिनांक 31.03.2010 तक के लिए किया जाना है।
2. नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त छायाप्रतियों का मिलान मूल दस्तावेज से करवाया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसकी उपस्थिति नहीं ली जावे।
3. अभ्यर्थी के योग्यता संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्र लिये जाकर उनका सत्यापन संबंधित संस्था से करवाये जाने के पश्चात् ही उन्हें अभ्यर्थी को वापस लौटाये जावेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही भी की जावेगी।
4. निर्धारित दिनांक 10.09.09 तक उपस्थिति नहीं देने वाले अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. नियुक्ति से पूर्व राज्य के इंडियन मेडिसिन बोर्ड/होम्योपैथी बोर्ड से पंजीयन होने का नवीनतम प्रमाण पत्र अभ्यर्थी से लिया जावेगा।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यथियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा छः माह से पुराना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे नवीनीकृत करवाने के पश्चात् ही उपस्थिति ली जावे। महिला अभ्यर्थी होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही जारी किया हुआ होना चाहिए।
7. विकलांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच की जावे।
8. दिनांक 15.10.08 से पूर्व अनिवार्य इन्टर्नशिप पूरी होने का प्रमाण पत्र लिया जावे।

9. अभ्यर्थी से संतान संबंधी, विवाह तथा दहेज का निर्धारित शपथ पत्र एवं एनआरएचएम में पूर्व से पदस्थापित नहीं होने का शपथ पत्र भी नियुक्ति से पूर्व लिया जावे।

10. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति से पूर्व दो सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

11. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों से मिलान एवं सत्यापन होने के पश्चात् आपके द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र आवंटित कर नियुक्ति पत्र जारी किया जावेगा।

12. नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय जयपुर से पूर्व में भिजवाये गये अनुबंध पत्र के अनुसार दिनांक 10.09.09 तक जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से अनुबंध किया जावेगा।

13. नियुक्ति के पश्चात कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना मुख्यालय को तत्काल भिजवावें, ताकि रिक्त रहने वाले पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(वी. श्रीनिवास)
शासन सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक

क्रमांकः एफ–12 (2)/एन.आर.एच.एम./आयुष/08/3545 दिनांकः 19/8/9

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, प.क. एवं मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., मुख्यालय, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर (समस्त जिले)
6. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (समस्त जोन)
8. जिला आयुर्वेद अधिकारी, समस्त जिले।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर शीघ्र जारी करें।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक
एन.आर.एच.एम., जयपुर